न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:–डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:– 395/2025

नरेश कुमार बलवदा, Auricvilla 40, जयसिंहपुरा, भांकरोटा, पिन कोड 302026, मो0न0 7425876011

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना।

—

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

—

आदेश

दिनांक 06.10.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 16.09.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 395/2025 पर दिनांक 16.09.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4293–94 दिनांक 16.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना ने पत्रांक न्याय/2025/214 दिनांक 01.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथी श्री नरेश कुमार बलवदा पुत्र श्री फूलसिंह बलवदा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई थी जिसके संबंध मे कार्यालय के पत्रांक राजस्व/आरटीआई/2025/639 दिनांक 03.09.2025 के द्वारा सूचना ङी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना ने पत्रांक न्याय/2025/214 दिनांक 01.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथी श्री नरेश कुमार बलवदा पुत्र श्री फूलसिंह बलवदा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई थी जिसके संबंध मे कार्यालय के पत्रांक राजस्व/आरटीआई/2025/639 दिनांक 03.09.2025 के द्वारा सूचना ङी जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 06.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं